मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

समाचार विज्ञप्ति

<u>राज्य सेवा परीक्षा 2013 में चयनित अभ्यर्थियों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी</u>

इंदौर, 01.07.2016, आज के समाचार-पत्रों में राज्य सेवा परीक्षा-2013 के संदर्भ में अभ्यर्थियों के नाम के आधार पर यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि सामान्यत: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले उपनाम यथा उपाध्याय, पाण्डेय, भार्गव, तोमर, भदौरिया आदि रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन अनुसूचित जाति/ जनजाति में किया गया है।

उक्त समाचार के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा (उपाध्याय, पाण्डेय, भार्गव, तोमर, भदौरिया आदि) अभ्यर्थियों के चयन के पूर्व उनके अर्हता संबंधी अभिलेख प्राप्त किए गए है तथा संबन्धित अभ्यर्थियों ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संबंधी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए है।

समाचार में उल्लेखित अभ्यर्थियों के साथ ही सभी अभ्यर्थी जिन्हें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में चयनित किया गया है वे सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी "स्थायी जाति प्रमाण-पत्र" धारित करते है।

उप सचिव